

# नव भारत



5 गर्मी से तप रहा है संपूर्ण भारत देश



6 दुनिया को सचेत उपभोग की ओर प्रेरित करना



7 दिल्ली में जुटेंगे अर्थव्यवस्था के दिग्गज



8 बंसोड़ बाहर; अशिमता चालिहा ने भारत की उम्मीदें जिंदा रखीं

## आतंकी हमजा बुरहान जहन्नुम पहुंचा

40 सीआरपीएफ जवान हुए थे शहीद 2019 में

19 आरोपियों को नामजद किया गया था चार्जशीट में

मारा गया पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड

मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को जहन्नुम में भेज दिया गया। इस आतंकवादी के मौत के बाद अब आतंकवादियों का पूरा गिरोह दहशत आ गया है।

हमजा बुरहान लंबे समय से पाकिस्तान में छिपा हुआ था और खुद को शिक्षक बताता था। बुरहान फर्जी डॉ का डिग्री हासिल किया था। हमजा बुरहान का असली नाम अजुमंद गुलजार डार था और वह जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के रबीपोरा का रहने वाला था। वह आतंकी संगठन अल-बद्र का कमांडर था और जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क के साथ मिलकर काम करता था।

हमजा पिछले कई वर्षों से पीओके में फर्जी पहचान के सहारे रह रहा था। वह स्कूल शिक्षक बनकर आतंकी नेटवर्क और घुसपैठ गतिविधियों को संचालित



कर रहा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की पुलवामा हमले से जुड़ी चार्जशीट में भी उसका नाम शामिल था। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद

ने ली थी। जांच एजेंसियों के अनुसार हमजा इस हमले की साजिश रचने वालों में शामिल था। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने करीब 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 19 आरोपियों को नामजद किया गया था। जांच में पाकिस्तानी आतंकी संगठन और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन से हमले की योजना का खुलासा हुआ था। इन आरोपियों ने हाथियार, विस्फोटक और पनाह देने जैसी गतिविधियों में मदद की थी। हमजा बुरहान की मौत के बावजूद चार बड़े आरोपी - मसूद अजहर, उसका भाई रऊफ असगर, अम्मर अल्वी और आशिफ अहमद नेहरू - अब भी पाकिस्तान में सक्रिय हैं।

धुरंधर स्टाईल में हुई बुरहान की हत्या

घटना का स्थान: हमजा बुरहान की हत्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के मुजफ्फराबाद में हुई। घटना के समय वह कार में सड़क पर जाम में फंसा हुआ था।

हत्या का तरीका-हमलावर बाइक से आए थे और बुर्का पहन रखे थे। उन्होंने हमजा पर कई गोशियां चलाईं, जिससे वह मौके पर ही मारा गया। हमजा का आतंकवादी प्रोफाइल-असली नाम- अजुमंद गुलजार डार।

जन्म और मूल स्थान- पुलवामा, रबीपोरा 2017 में पाकिस्तान गया और आतंकवादी संगठन अल-बद्र में शामिल हुआ। अल-बद्र में कमांडर बन गया। 2022 में भारत के गृह मंत्रालय ने उसे आतंकवादी घोषित किया।

कश्मीर में गतिविधियां-दक्षिण कश्मीर में युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग और फंडिंग मुहैया करवाता था। कट्टरपंथ की ओर ले जाने और आतंकी संगठनों में शामिल करने का आरोप। पुलवामा से शोपियां तक अपना नेटवर्क फैलाया। पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क के लिए काम करता था। अब दुजाना, अबू कासिम, बुरहान वानी और जाकिर मूसा का करीबी सहयोगी था।

पाकिस्तान में हमजा की छिपी पहचान-पाकिस्तान में उसने एक स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में काम किया। अपने लोगों के बीच डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध था।

हमजा की मौत का महत्व- पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका। पुलवामा हमले के बाकी गुनहवारों पर भी भारतीय एजेंसियों की निगरानी जारी।

## बंगाल के सभी मदरसों में अब वंदे मातरम अनिवार्य

शुभेंदु अधिकारी सरकार का बड़ा फैसला लागू

मदरसा वलास से पहले राष्ट्रगीत गाना होगा जरूरी



कोलकाता, 21 मई. पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में बड़ा बदलाव लागू किया है। अब मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य होगा। साथ बंगाल में एनआरसी भी लागू हो गया है।

अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग ने इस नए आदेश को जारी किया है। इस आदेश के अनुसार सरकारी मॉडल मदरसों (इंग्लिश मीडियम) से लेकर सभी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मदरसों पर यह नियम समान रूप से लागू होगा। इसका मकसद छात्रों में राष्ट्रभक्ति को भावना को बढ़ावा देना और शिक्षा संस्थानों में एकरूप नीति लागू करना बताया जा रहा है। इससे

पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्कूलों में वंदे मातरम गाने को अनिवार्य किया था। अब इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए इसे मदरसों में भी लागू कर दिया गया है। आदेश में सभी मदरसा प्रशासकों और संस्थान प्रमुखों को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। इस कदम को लेकर शिक्षा और राजनीति जगत में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह निर्णय धर्म और शिक्षा नीति के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती पेश करता है। इससे पहले 14 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में भी वंदे मातरम गाने को अनिवार्य कर दिया था।

एक नजर में

मोदी के साथ कल वार्ता करेंगे साइप्रस के राष्ट्रपति

नई दिल्ली, 21 मई. तीन दिन की भारत यात्रा पर आए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौल्लिडेस गुरुवार शाम मुंबई से यहां पहुंचे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्माण पर हो रही है। वह शुक्रवार को श्री मोदी के साथ यहां द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है जिसमें विदेश मंत्री डॉ. कौस्तुभिकेस काम्बोज, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री एलेक्सिस वाफेयाडेस, वरिष्ठ अधिकारी तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडौल्लिडेस की भारत की यह पहली यात्रा है।

भारत-अफ्रीका शिक्षक सम्मेलन स्थगित

नयी दिल्ली। भारत-अफ्रीका फोरम शिक्षक सम्मेलन को अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के चलते फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन 28 से 31 मई 2026 के बीच नई दिल्ली में आयोजित होना था। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि भारत, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच विस्तृत चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। दोनों पक्षों ने माना कि मौजूदा स्वास्थ्य परिस्थितियों को देखते हुए सम्मेलन को बाद की तारीख में आयोजित करना उचित रहेगा। नई तारीखों की घोषणा आपसी सहमति से बाद में की जाएगी।

## बिना रजिस्ट्रेशन वाहन को ईंधन न दें

अवैध खनन में लगे वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा

सुप्रीम कोर्ट की सख्त कार्रवाई से माफिया पर अंकुश

नई दिल्ली, 21 मई. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चंबल संक़ुअरी में अवैध खनन को रोकने के लिए एक सख्त आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट वाले वाहनों को अब पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, यह कदम अवैध खनन माफिया की गतिविधियों को रोकने और संक़ुअरी के संरक्षण के लिए अहम माना जा रहा है।

कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब्त वाहन अब जुर्माना भरने



के बाद वापस नहीं दिए जाएंगे। चंबल के पास के गांवों में रेत और अन्य खनिजों का अवैध दोहन लंबे समय से जारी है। राजस्थान सरकार ने कोर्ट में हलफनामा पेश करते हुए कहा कि खनन में लगे वाहनों को जब्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और सदीप मेहता शामिल हैं, ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खनन नेटवर्क के मुख्य सरगनाओं की पहचान करें।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को इस मामले में अंतिम फैसला सुनाने की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट के इस आदेश से न केवल खनन माफिया पर अंकुश लगेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और संक़ुअरी की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, पेट्रोल पंपों को दिए गए निर्देशों से अवैध वाहनों को ईंधन की आपूर्ति पर रोक लगेगी, जिससे अवैध गतिविधियों की गति धीमी होगी। यह आदेश न्यायालय की यह स्पष्ट चेतावनी भी है कि पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चंबल संक़ुअरी की सुरक्षा, लोगों की आजीविका और खनन माफिया पर नियंत्रण इस मामले के मुख्य मुद्दे बने हुए हैं।

## एमपी राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड में 10 सदस्य होंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 मई. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के ष्ठेश्यों की पूर्ति के लिये किया गया है। इससे व्यापारी समुदाय के कल्याण के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहतर वातावरण निर्मित करने और प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा मिल सकेगा।

समिति में मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और मुख्यमंत्री द्वारा नामित अधिकतम 10 सदस्य होंगे। अपर मुख

सीएम होंगे बोर्ड के अध्यक्ष, आदेश जारी



सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वाणिज्यिक कर, वित्त, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, लोक निर्माण, खनिज साधन, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पशुपालन एवं

सीईओ-अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, संचालक-आरसीवीपी नरोहना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी को संस्था के पदेन सदस्य और राज्य प्रमुख-सीआईआई, फिक्की, फिओ, डिक्की, लघु उद्योग भारती एवं अन्य राज्य स्तरीय व्यापार समिति तथा संघ को शीर्ष चेम्बरस से पदेन सदस्य मनोनीत किया गया है। प्रबंध संचालक, मप्र इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन, भोपाल को सदस्य-सचिव नामित किया गया है। अध्यक्ष की अनुमति से मप्र राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

## गाय को मारना ईद का हिस्सा नहीं: हाई कोर्ट

बकरीद से पहले बंगाल में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

कोलकाता, 21 मई. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें गाय, बैल, बछड़े, भैंस और अन्य पशुओं के वध को लेकर सख्त दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।

यह मामला बकरीद से ठीक पहले सामने आया, जिससे यह मुद्दा और अधिक संवेदनशील हो गया है मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति सुजाय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेना शामिल थे, ने स्पष्ट किया कि सरकार का नोटिफिकेशन पहले से मौजूद न्यायिक आदेशों के अनुपालन में

जारी किया गया है।

अदालत ने यह भी कहा कि 2018 के एक पुराने मामले में दिए गए आदेशों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, इसलिए इस नोटिस पर रोक लगाने या इसे रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं है। राज्य सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि बिना स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता और खुले सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा जारी निर्देश पहले के न्यायिक आदेशों के अनुपालन में हैं और इसमें किसी तरह की तत्काल रोक लगाने का आधार नहीं बनता।

## पिता ही निकला बेटी का हत्यारा

पिता ने बेटी की हत्या कर ट्रेन में फेंका था शव

तीसरी भी बनी पिता के गुस्से की शिकार

लखनऊ, 21 मई. गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के स्लीपर कोच में एक टिन के बक्से में मिली किशोरी की शव संबंधी घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। जल्द में सामने आया कि यह हत्या पिता के डर, गुस्से और 'इज्जत' की सोच का नतीजा थी। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कोच में टिन का बक्सा मिलने से एक भयावह रहस्य सामने आया। पुलिस जांच में पता चला कि बक्से में मिली किशोरी की शव के टुकड़े किसी गैंगवार या सीरियल किलिंग का हिस्सा नहीं थे।



यह घटना कुशीनगर के पिता बिगन अंसारी की मानसिकता और गुस्से की वजह से हुई। पिता को डर था कि उसकी तीसरी बेटी शब्बा भी घर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उसकी दो बेटियां पहले ही घर छोड़ चुकी थीं। शब्बा का मोबाइल पर दूसरे समुदाय के युवक से संपर्क रखना उसके लिए लगातार चिंता का कारण था। इसी डर और तथाकथित 'इज्जत' की भावना ने पिता को इतना कठोर बना दिया कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, बिगन ने

पहले से योजना बनाई थी। उसने पत्नी और दोनों बेटों को रिश्तेदारी भेज दिया। फिर उसने अपनी बहन नूरजहां और बहनोई मुजीबुल्ला को बुलाया और तीनों ने मिलकर हत्या और शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई। शब्बा की हत्या के बाद उसके धड़ को टिन के बक्से में रखा गया, जबकि हाथ और पैर एक अलग थैले में रखकर ट्रेन के कोच में छोड़ा गया। ट्रेन को तालाब में फेंक दिया गया। सीसीटीवी फुटेज ने पूरी साजिश को उजागर किया।

## थाना प्रभारी सहित चार पर एफआईआर

गांजे के केस में फंसाने की धमकी देकर 95 हजार वसूली

नवभारत न्यूज पत्रात पत्रा, 21 मई. जिले के मड़ला थाना क्षेत्र में एक सर्राफा व्यापारी को झूठे गांजे के केस में फंसाने की धमकी देकर मराठा थाना पुलिस और एक शराब ठेके के कर्मचारी द्वारा मिलीभगत कर 95,000 की वसूली का मामला दर्ज हुआ है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा से शून्य पर दर्ज हुई कायमी के बाद मड़ला थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी रचना पटेल सहित चार लोगों के खिलाफ जबरन वसूली और साजिश की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हासिल जानकारी के अनुसार बागेश्वरधाम दर्शन करने जा रहे रीवा के एक सोने-चांदी के व्यापारी को मड़ला पेट्रोल पंप के पास रोककर गाड़ी में गांजा होने का डर दिखाया गया। इसके बाद करीब दो घंटे तक बंधक बनाकर केस रफा-दफा करने के एवज में 95,000 ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मड़ला थाना प्रभारी रचना पटेल, मुंशी रज्जक खान,

आरक्षक रामशरण अहिरवार और शराब ठेके के कर्मचारी बूजेश यादव पर मामला दर्ज किया है।

दर्शन करने जा रहे थे व्यापारी, रास्ते में घेरा - रीवा के वार्ड क्रमांक 31, तरहेटी मोहल्ला निवासी पीड़ित सर्राफा व्यापारी मोहनलाल सोनी पिता शंकरलाल सोनी ने बताया कि 14 मई को दोपहर करीब 1 बजे वह अपनी मारुति कार से बागेश्वरधाम दर्शन के लिए निकले थे। शाम करीब 5 बजे जैसे ही उनकी कार पेट्रोल पंप के पास पहुंची, उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई। इसी दौरान सिविल कपड़ों में दो लोग आए और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बीच की सीट से एक काली पॉलीथिन निकाली।

उन्होंने व्यापारी से कहा कि तुम्हारी गाड़ी में गांजा है, तुम अवैध तस्करी कर रहे हो, थाना चलो। शराब ठेके के पीछे ले जाकर 2 घंटे की धमकी - व्यापारी ने जब खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि वह कोई नशा नहीं करते, तो कार में बैठे व्यक्ति ने अपना परिचय मड़ला थाने के मुंशी रज्जक खान के रूप में दिया और दूसरे ने अपना नाम बूजेश यादव बताया जो वहीं शराब ठेके पर काम करता है।

परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स और गठबंधन- मोदी 3.0 के विस्तार का नया त्रिकोण

## विस्तार केवल चेहरों का बदलाव नहीं होगा

प्रवेश कुमार मिश्र नई दिल्ली, 21 मई. केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी आरंभ हो गई है। चर्चा है कि यह विस्तार केवल चेहरों का बदलाव नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था को नई ऊर्जा देने का प्रयास होगा। इतना ही नहीं इस विस्तार के सहारे हिंदी पट्टी

के राज्यों की राजनीतिक समीकरण और 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब जैसे चुनावी राज्यों के जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास भी किया जा सकता है। जानकार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंत्रिपरिषद की बुलाई गई विशेष बैठक ने उन चर्चाओं को हवा दे दी है कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ यानी 09 जून से ठीक पहले या तुरंत बाद एक बड़े बदलाव के मूड में है। बताया जा रहा है कि इस संभावित विस्तार के पीछे कई

रणनीतिक कारण छिपे हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार प्रदर्शन आधारित राजनीति है। मोदी सरकार में मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड उनके भविष्य का आधार बनता रहा है। जिन मंत्रालयों में योजनाओं का क्रियान्वयन धीमा रहा है, वहां नेतृत्व परिवर्तन कर प्रधानमंत्री यह संदेश देते रहे हैं कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जबकि दूसरा पहलू राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन का है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब समेत कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा

चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा नेतृत्व को कोशिश होगी कि उन क्षेत्रों और समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, जो चुनावी गणित में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। क्योंकि 2027 का सबसे बड़ा रण उत्तर प्रदेश है। पिछले लोकसभा चुनावों के सबक को देखते हुए, भाजपा इस विस्तार में उत्तर प्रदेश से पिछड़ा वर्ग और दलित चेहरों को प्रमुखता दे सकती है। यह कोशिश उन समुदायों को फिर से अपने पाले में लाने की है जो लोकसभा चुनाव के समय राजग खेमे से छिटक गए थे।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समीकरण और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटें दलों के साथ तालमेल को कैबिनेट के जरिए मजबूती दी जाएगी। तीसरा बड़ा कारण सहयोगी दलों के साथ समन्वय है। गठबंधन सरकार होने के नाते, सहयोगियों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें शासन में महत्वपूर्ण भागीदारी देना सरकार की थ्रिस्टा और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के समीकरणों को साधने के लिए नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है।

दोनों जबरन कार में बैठ गए और गाड़ी को पास के ही शराब ठेके के पीछे ले गए। वहीं वहीं पहले एक और पुलिसकर्मी रामशरण अहिरवार भी आ गया। तीनों आरोपियों ने मिलकर व्यापारी को शाम 7 बजे तक गांजे के पैक में जेल भेजने की धमकी दी और डराया-धमकाया। केस से बचने के एवज में मुंशी रज्जक खान और बूजेश यादव ने 1 लाख की मांग की। व्यापारी द्वारा काफी मिश्रित करने के बाद वे 95,000 पर माने। आरोपियों ने अलग-अलग नंबरों और क्यूआर कोड पर 45,000 और 50,000 के दो ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए। कुल 95 हजार रुपए वसूलने के बाद व्यापारी को छोड़ा गया। जिसके बाद पीड़ित उर के मारे सीधे अपने घर रीवा लौट गया और वरिष्ठ अधिकारियों को आपत्ती सुनाई। पीड़ित ने घटना के बाद रीवा में लिखित आवेदन दिया था, जिसके बाद रीवा पुलिस ने अपराध क्रमांक 0/26 दर्ज कर पत्रा पुलिस को भेजा।